

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

दिनांक: 13-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
238	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.1115) दि. 13-03-2018 (श्री दिलीप सिंह शेखावत)	(1) उज्जैन जिले के नागदा शहर में संचालित 20 सीटर सीनियर बालक छात्रावास को 50 सीटर किया जाना।  (2) तहसील मुख्यालय नागदा में उत्कृष्ट छात्रावास प्रारंभ किया जाना।	(1) सीनियर छात्रावास की सीट बढ़ाने की बात है उसको हम 20 सीट से 50 सीट का करने का आदेश दे देंगे।  (2) आगामी दिनों में इसका परीक्षण करवाकर के और किस स्तर पर लाया जाये इसके लिये भी हम प्रयास कर रहे हैं।		
239	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.1758) दि. 13-03-2018 (श्री रामनिवास रावत)	विधानसभा में धोबी जाति को संपूर्ण प्रदेश में अनुसूचित जाति मान्य किये जाने के संबंध में पारित अशासकीय संकल्प के तहत प्रदेश की धोबी जाति का पुनः अध्ययन आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्था से निर्धारित समय सीमा में कराया जाकर अध्ययन प्रतिवेदन भारत सरकार, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को भेजी जाना।	(1) दूसरी बार जब रिपोर्ट गई है उसमें उन्होंने केन्द्र सरकार की इस रिपोर्ट से शायद सहमति दी है, लेकिन यह बात सही है कि मंत्री से अनुमोदन लेना चाहिये। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का दोबारा परीक्षण कराऊंगा, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।  (2) मैं पुनः उसका परीक्षण करा लूंगा। पुनः परीक्षण कराने के बाद पोजीटिव्ह जो भी रूख आयेगा, मैं केन्द्र सरकार को पुनः भेज दूंगा।  (3) अध्यक्ष महोदय, 2 महीने में परीक्षण करा देंगे।  (4) मैं कह रहा हूं, मैं आज भी धोबी समाज के पक्ष में हूं और इसलिये मैंने कहा था कि परीक्षण कराऊंगा।  (5) <u>अध्यक्ष महोदय के निर्देश</u> :- आपकी बात को उन्होंने करीब शब्दश: स्वीकार किया आपने समय मांगा तो उन्होंने अतिशीघ्र नहीं बोलकर 2 महीने कह दिया।  (6) <u>अध्यक्ष महोदय के निर्देश</u> :- सही प्रारूप में सही जानकारी भिजवा दें, जो आपने कहा है समय-सीमा में।  (7) मैंने पहले ही कहा है कि मैं धोबी समाज के इस अधिकार के पक्ष में हूं और मैं पुनः परीक्षण कराऊंगा, वह सारे हम बिन्दु देखेंगे, जो कोई क्षुट गये हैं, रह गये हैं, कुछ भी है।		
240	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.31 (प्रश्न क्रं.1308) दि. 13-03-2018 (श्री सुदेश राय)	सीहोर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम खामलिया में प्रस्तावित सी.सी. रोड की शीघ्र स्वीकृति दी जाकर कार्य प्रारंभ किया जाना।	ग्राम खामलिया में सी.सी.रोड का एक प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 13-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
241	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.259) दि. 13-03-2018 (श्री सुशील कुमार तिवारी)	जबलपुर जिले की पनागर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोशालीबाड़ा में 1954 से संचालित स्कूल के ऊपर से 11 के.व्ही. की निकाली गई विद्युत लाइन को हटाया जाना।	उसका हम परीक्षण करवा लेंगे और उसका निराकरण कर लेंगे।		
242	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.1262) दि. 13-03-2018 (कुँवर हजारीलाल दांगी)	विधानसभा क्षेत्र खिलचीपुर के अंतर्गत ग्राम बाजसेन-डागल्या में 33/11 के.व्ही.ए.ल. बिजली उपकेन्द्र स्थापित किया जाना।	ग्राम बाजरोन-डागल्या में नवीन 33/11 के वी.ए. उपकेन्द्र का प्रस्ताव शामिल किया गया है और रबी सीजन के पूर्व आपका काम हो जायेगा।		
243	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.2502) दि. 13-03-2018 (श्री शैलेन्द्र पटेल)	म.प्र.वि.वि.कं.लि. के क्षेत्रीय भण्डार भोपाल में पुराने खम्बों की पिछ्ले 03 वर्षों की नीलामी में प्राप्त राशि की वर्षवार जानकारी दिया जाना।	03 साल की जानकारी चाही है, वह जानकारी लेकर मैं इनको देंगा।		
244	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.1218) दि. 13-03-2018 (श्री रामप्यारे कुलस्ते)	मण्डला जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के शेष कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	शेष सभी कार्य माह जून, 18 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।		
245	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.139 (प्रश्न क्रं.3668) दि. 13-03-2018 (श्री जयवर्द्धन सिंह)	गुना जिले सहित प्रदेश में अभिलेखों के अनुसार शेष बिजली की सुविधा से वंचित परिवारों को सौभाग्य योजना अंतर्गत विद्युत कनेक्शन देने का कार्य समय सीमा में पूर्ण किया जाना।	सौभाग्य योजनान्तर्गत गुना जिले सहित प्रदेश में सभी कार्य दिसम्बर 2018 तक पूर्ण किये जाने हैं।		
246	अतारांकित प्रश्न सं.125 (प्रश्न क्रं.3475) दि. 13-03-2018 (श्री गिरीश भंडारी)	जिला राजगढ़ के नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत तथा ग्राम पीलूखेड़ी एवं ग्राम सीका पनिया सालूडीया जागीर में प्रस्तावित नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेन्द्रों का निर्माण किया जाना।	निर्माण हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा उपकेन्द्र का निर्माण अगस्त, 2018 तक पूर्ण होना संभावित है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

जनजातीय कार्य विभाग

दिनांक: 13-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
247	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.1852) दि. 13-03-2018 (श्री जतन उर्फ़ेके)	छिंदवाड़ा जिले के पांडुर्णा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभाग के संचालित छात्रावासों के लिए कम्प्यूटर शीघ्र उपलब्ध कराया जाना।	पांडुर्णा विधान सभा के लिये कम्प्यूटर खरीदी की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।		
248	तारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.1623) दि. 13-03-2018 (एडवोकेट सत्यप्रकाश सखवार)	जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत श्री भंडारी अपर संचालक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	विभागीय जांच आयुक्त को उनकी जांच करने के लिये आदेश शासन ने दिये और यह जांच भी अंतिम चरण में है और बहुत जल्दी इस जांच की रिपोर्ट आ जाएगी और जैसे ही वह जांच रिपोर्ट आएगी एवं जांच में जो तथ्य प्रकट किये जाएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी।		
249	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.18 (प्रश्न क्रं.1112) दि. 13-03-2018 (श्रीमती ममता मीना)	प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रं. 4808 दिनांक 08.03.2017 के संदर्भ में श्री पी.आर.दोहरे प्रभारी प्राचार्य आवासीय विद्यालय ढेंगदा जिला श्योपुर के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच के प्राप्त जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाना।	जी हॉ। दोहरे के विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच का प्रतिवेदन आयुक्त, जनजातीय कार्य विकास, म.प्र. से शासन को प्राप्त हो चुका है, जिस पर निर्णय लेने की कार्यवाही प्रचलन में है।		
250	अतारांकित प्रश्न सं.17 (प्रश्न क्रं.1254) दि. 13-03-2018 (श्री योगेन्द्र सिंह)	जिला सिवनी के लखनादौन विकासखण्ड अंतर्गत हाई स्कूल दरगड़ा एवं धनककड़ी का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन किया जाना।	प्रस्तावित हाईस्कूलों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

दिनांक: 13-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
251	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्र.2929) दि. 13-03-2018 (श्री रामपाल सिंह)	शहडोल जिले में सोलर पंप स्थापित करने हेतु कृषकों द्वारा दिये गए आवेदन पत्रों के साथ ही अंश राशि जमा कराने वाले कृषकों के यहां सोलर पंप स्थापित किया जाना।	(1) 15 मार्च को 14 लोगों के यहां स्थापित हो जाएंगे। इससे कुल 30 लोगों के यहां सोलर पंप स्थापित हो जाएंगे। बाकी भी 31 मार्च तक हो जाएंगे।  (2) जिन 14 संयंत्रों का पैसा जमा हो गया है उनके यहाँ कार्यवाही स्थापित होने का काम चल रहा है और यह 15 मार्च तक कंपलीट हो जाएगा।		
252	अतारांकित प्रश्न सं.22 (प्रश्न क्र.1322) दि. 13-03-2018 (श्री सुन्दरलाल तिवारी)	रीवा संभाग में ऑफ ग्रिड एवं विकेन्द्रीकृत सौर फोटोवोल्टेइक पॉवर प्लान्ट योजना अंतर्गत प्लांट लगाने से संबंधित प्रदायकर्ता इकाई द्वारा प्लांट की स्थापना अनुबंध अनुसार न किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	संबंधित प्रदायकर्ता इकाई जिम्मेदार है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

महिला एवं बाल विकास विभाग

दिनांक: 13-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
253	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.48 (प्रश्न क्रं.1760) दि. 13-03-2018 (डॉ. गोविन्द सिंह)	प्रदेश की आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार (टेकहोम राशन) की व्यवस्था की नवीन नीति का निर्धारण किये जाने की कार्यवाही शीघ्र की जाना।	अनुशंसाओं के आधार पर टेकहोम राशन व्यवस्था के लिये नवीन नीति निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
254	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.112 (प्रश्न क्रं.3466) दि. 13-03-2018 (सुश्री हिना लिखीराम कावरे)	राज्य मंत्री परिषद की बैठक दिनांक 14.11.2017 के निर्णयानुसार प्रदेश की आंगनवाड़ी केन्द्रों में स्व.सहायता समूहों के माध्यम से टेकहोम राशन प्रदाय की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ किया जाना।	मंत्री-परिषद की बैठक दिनांक 14.11.2017 में लिये निर्णयानुसार स्व-सहायता समूह/स्व-सहायता समूहों के फेडरेशन से टेकहोम राशन प्रदाय व्यवस्था की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		
255	अतारांकित प्रश्न सं.75 (प्रश्न क्रं.2745) दि. 13-03-2018 (श्री सोहनलाल बाल्मीकी)	छिंदवाड़ा जिले की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना।	छिंदवाड़ा जिले की विभिन्न परियोजनाओं में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि के लंबित प्रकरणों का योजना की शर्तों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जा रहा है।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

राजस्व विभाग

दिनांक: 13-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
256	ध्यानाकर्षण (सूचना क्र.387) दि. 13-03-2018 (श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल)	प्रदेश में स्थायी पट्टों के नवीनीकरण के लिए शासन के परिपत्र क्र. एफ 6-48/2014/सात/नजूल दिनांक 11.07.2017 में व्याप्त विसंगति को दूर किया जाकर सुगम/सरल परिपत्र शीघ्र जारी किया जाना।	(1) विभाग ने इसके लिये काफी तैयारी भी कर ली है. मुझे लगता है बहुत जल्दी ही हम इसको लागू करवा देंगे।  (2) मुझे लगता है, हम जल्दी कर देंगे।  (3) मैं विश्वास करता हूं कि हम 31 मार्च तक कर देंगे।  (4) जी हम कर लेंगे।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक: 13-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
257	अतारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्र.25) दि. 13-03-2018 (डॉ. गोविन्द सिंह)	पंजीयक मुद्रांक शुल्क भोपाल द्वारा रेत खदानों के अनुबंध के प्रकरणों में वसूली की प्रक्रिया प्रचलित है। कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली की कार्यवाही शीघ्र की जाना।			
258	अतारांकित प्रश्न सं.55 (प्रश्न क्र.2115) दि. 13-03-2018 (श्री सुरेन्द्रनाथ सिंह)	विगत दो वर्षों में आबकारी अधिकारियों के विरुद्ध निराकरण हेतु शेष शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं। शिकायतों की जांच कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	शेष शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

वित्त विभाग

दिनांक: 13-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>259</b>	अतारांकित प्रश्न सं.92 (प्रश्न क्र.3025) दि. 13-03-2018 (श्री आरिफ अकील)	दिनांक 07.12.2017 को प्रश्नकर्ता द्वारा मा.मुख्यमंत्री जी, मा.वित्त मंत्री जी, शेष कार्यवाही प्रचलन में है। मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं सचिव, म.प्र. शासन को म.प्र. वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नियम विरुद्ध कनिष्ठ अंकेक्षण दल से पुनः आडिट कराने की जांच हेतु लिखे गये पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं की जांच एवं कार्यवाही।			

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय**  
**फरवरी-मार्च, 2018 सत्र में दिये गये आश्वासन**

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक: 13-03-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
260	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.1232) दि. 13-03-2018 (श्री जितेन्द्र गेहलोत)	प्रदेश के वन, स्वास्थ्य, पंचायत, नगरीय विकास एवं आवास आदि विभागों में विगत 10 वर्षों से कार्यरत कुशल, अकुशल एवं अद्वकुशल कर्मचारियों को शासन द्वारा स्थायी कर्मी घोषित किये जाने के संदर्भ में राज्य के कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता एवं ग्रेज्युटी का लाभ दिया जाना ।	मंहगाई भत्ता देंगे और ग्रेज्युटी देने का काम भी हम करेंगे ।		
261	तारांकित प्रश्न सं.13 (प्रश्न क्रं.3271) दि. 13-03-2018 (श्री विष्णु खत्री)	(1) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कंजर जाति के निवासरत् परिवारों का राजस्व रिकार्ड में उनका गौत्र बजोरिया एवं बिजोरिया अंकित होने से राज्य के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति की सूची में अनुक्रमांक 28 पर अंकित "कंजर जाति" के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति अंतर्गत जाति प्रमाण पत्र न मिलने की जांच एक माह में पूर्ण करायी जाकर कंजर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाना ।  (2) हुजूर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कौड़िया, भानपुर केकड़िया आदि में गौड़, भील भिलारे जाति के लोग निवासरत् हैं जो कि अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित है इन व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति का लाभ न मिलने की जांच एवं कार्यवाही ।	(1) अभी मैंने एक जांच गौड़ की कराई थी और हमने उसमें पाया कि वास्तव में वे गौड़ थे, गोडावे, हम इसकी भी एक महीने के अन्दर उप सचिव स्तर से जांच करा लेंगे और यदि उनके जो शासकीय दस्तावेज हैं, खेती के दस्तावेज हैं, उन सब में अगर वे कंजर ही पाए जाते हैं तो उनको लाभ देने का हम करेंगे ।  (2) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विष्णु जी को भी उस जांच में सम्मिलित करा दूँगा ।  (3) उसको भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ।		
262	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.76 (प्रश्न क्रं.2818) दि. 13-03-2018 (श्री मुकेश नायक)	बुन्देलखण्ड पैकेज की राशि के व्यय में की गई अनियमितता के संबंध में मुख्य तकनीकी परीक्षक (सरकारी) संगठन द्वारा की गई जांच एवं जांच निष्कर्षों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना ।	(1) जल संसाधन विभाग द्वारा प्रतिवेदन का परीक्षण कर दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किये गये हैं ।  (2) जी हॉं । जांच प्रतिवेदन का परीक्षण जल संसाधन विभाग द्वारा किया जाकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।		